उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग-3
संख्या-15/2018/1719 /46-3-18-3(36-ए)/2018
लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की गन्ना मूल्य की देयता की स्थिति में सुधार करने एवं गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य परामर्शित मूल्य की दर पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु सक्षम बनाने तथा गन्ना मूल्य का समय पर व्यवस्थापन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित स्कीम **"चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना"** अधिसूचित किया जाता है, जिसका प्रारूप निम्नवत है:-

1. योजना का नाम- "चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना"

2. ऋण का उद्देश्यः-

चीनी मिलों द्वारा ऋण का उपयोग गन्ना पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के गन्ना मूल्य बकाया के समय से भुगतान के लिए एवं संबंधित गन्ना पेराई सत्रों के गन्ना किसानों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य परामर्शी मूल्य की दर से देय गन्ना मूल्य का समय पर व्यवस्थापन करने के लिए किया जाएगा।

3. ऋण योजना का स्वरूपः-

(i) यह ऋण योजना निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु लागू होगी।

(ii) इस ऋण योजना के अन्तर्गत पात्र निजी चीनी मिलों हेतु अधिकतम ऋण धनराशि रू.4,000 करोड़ होगी।

(iii) इस योजना हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत करते हुए, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के निवर्तन पर रखी जाएगी। योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर परीक्षणोपरान्त, स्वीकृति हेतु पात्र आवेदन पत्रों के सापेक्ष देय ऋण की धनराशि, सम्बन्धित बैंकों को उनके स्तर से प्राप्त होने वाले मांग पत्र के अनुसार गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के द्वारा आहरित करके उपलब्ध कराई जाएगी।

(iv) इस योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा, जिसका आगणन ऋण वितरण की तिथि से किया जाएगा। ऋण की वापसी मासिक किश्तों में अधिकतम 05 वर्ष की अवधि में की जाएगी, जिसकी प्रथम मासिक किश्त माह जुलाई, 2019 से प्रारंभ होगी। समय से मासिक किश्तों में चीनी मिल द्वारा ऋण वापस न करने अथवा किसी किश्त के चूक/डिफाल्ट होने की स्थिति में, डिफाल्ट किश्त पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। मासिक किश्तों के निर्धारण हेतु मूलधन एवं ब्याज की गणना बैंकिंग नियमों एवं विनियमों के अनुसार की जायेगी।

(v) ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक द्वारा चीनी मिलों से लिये गये 05 प्रतिशत साधारण ब्याज में से 01 प्रतिशत ब्याज प्रशासनिक शुल्क के रूप में कटौती करते हुए मूल धनराशि के साथ शेष 04 प्रतिशत ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को वापस कर दिया जाएगा। समय से ऋण वापस न करने अथवा किसी किश्त के चूक/डिफाल्ट होने की स्थिति में संबंधित चीनी मिल से लिये गये 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में से 02 प्रतिशत ब्याज प्रशासनिक शुल्क के रूप में कटौती करते हुए मूल धनराशि के साथ शेष 10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

4. ऋण योजना की रूपात्मकताएं और विस्तारः-

(i) इस ऋण योजना को प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, उ.प्र. सहकारी बैंक एवं प्रदेश की जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से लागू किया जाएगा तथा ऋण लेने वाली चीनी मिल अपना आवेदन बैंक के स्तर पर प्रस्तुत करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(ii) सम्बन्धित बैंक, इस योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण एवं वापसी हेतु एक अलग खाता अनुरक्षित करेगी तथा ऋण वितरण उपरान्त, वितरण एवं वापसी का मासिक विवरण सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त को प्रेषित करते हुए, उसकी प्रति गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. को प्रेषित करेंगी। योजनान्तर्गत बैंक को उपलब्ध होने वाला फण्ड उसके व्यवसाय से अलग होगा एवं बैंक की भूमिका फण्ड मैनेजर के रूप में होगी।

(iii) ऋण लेने हेतु चीनी मिलों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने एवं इन आवेदनों के परीक्षण, स्वीकृति एवं ऋण को प्रत्याभूत (Secure) करने हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो बैंकों द्वारा अन्य/समान ऋणों को दिये जाने हेतु बैंकिंग नियमों के अन्तर्गत अपनाई जाती है।

(iv) चीनी मिलों द्वारा ऋण हेतु प्रस्तुत आवेदन एवं सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणिकता की जाँच एवं उसके रखरखाव का उत्तरदायित्व ऋण स्वीकृत करने वाले सम्बन्धित बैंक का होगा।

(v) ऋण स्वीकृत करते समय बैंक द्वारा संबंधित चीनी मिल की 05 वर्षों की संवीक्षा कर, आगामी नकद प्रवाह, व्यवहार्यता बनाए रखना और ऋण आपूर्ति क्षमता, ऋण के कार्यसंचालन से संबंधित विभिन्न मानकों का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें समय-समय पर चीनी उद्योग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देश शामिल है।

(vi) यह ऋण सभी संगत बैंकिंग मानकों जिनमें समय-समय पर चीनी उद्योग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देश शामिल हैं, की शर्तों पर दिया जाएगा। यह ऋण जमानत द्वारा समर्थित होगा और ऋण की सुविधा लेने वाली चीनी मिलों के ऋणाधार, जिनमें व्यक्तिगत गारंटियां और संस्थापक की अन्य परिसम्पत्तियां, जो सभी ऋण भारों से मुक्त हो, सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(vii) ऋणों को, ऋण लेने वाली चीनी मिल की प्रतिभूतियों और संपार्श्विक से पिष्टप्रेषित किया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत गारंटियां और प्रवर्तकों की अन्य परिसम्पत्तियाँ शामिल हैं, जो पृथक बैंकों द्वारा निर्णय लिए जाने वाले ऋणभारों से स्वतंत्र होती है।

(viii) इस अधिसूचना के अनुसरण में सम्बन्धित बैंक द्वारा वे सभी ऋण जिसके लिए आवेदन 31 अक्टूबर, 2018 तक प्राप्त हो जाते हैं तथा 10 नवम्बर, 2018 तक स्वीकृत कर दिये जाते हैं और 25 नवम्बर, 2018 तक संवितरित कर दिए जाते हैं, उन्हें ही इस ऋण योजना के अन्तर्गत कवर किया जाएगा, किन्तु इस योजना के अन्तर्गत जिन चीनी मिलों के मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में ग्राह्य हो चुके हों अथवा विचाराधीन हों एवं जिनके द्वारा पूर्व में लिए गये ऋण बैंक द्वारा एन.पी.ए. घोषित हो चुके हों, उन चीनी मिलों को ऋण स्वीकृत करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ix) इस योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए, आवेदन करने वाली चीनी मिलों को, स्वीकृत ऋण का उपयोग करते हुए पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक सुनिश्चित करना होगा।

(x) चीनी मिल इकाई/कम्पनी को स्वीकृत कुल ऋण की धनराशि, ऋण आवेदन की तिथि पर पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि के बराबर अथवा सम्बन्धित सत्र में देय कुल गन्ना मूल्य की धनराशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। ऋण का आवेदन करने हेतु निजी क्षेत्र की वही चीनी मिलें पात्र होंगी, जो आवेदन की तिथि से पूर्व संबंधित पेराई सत्र के देय गन्ना मूल्य का न्यूनतम 30 प्रतिशत् भुगतान कर चुकी हैं, जिसको संबंधित परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

(xi) ऋण की स्वीकृति के संबंध में बकाया गन्ना मूल्य की गणना, चीनी मिल के बकाया गन्ना मूल्य में से उसके द्वारा सत्र में पेरे गये गन्ने की मात्रा के सापेक्ष रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता एवं दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के पश्चात् मिलने वाली कोजेन की धनराशि को समायोजित करते हुए, की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र संबंधित उप गन्ना आयुक्त द्वारा जारी किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(xii) योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण के सम्बन्ध में ऋण लेने वाली चीनी मिल, सम्बन्धित बैंक एवं सम्बन्धित परिक्षेत्र के उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त के मध्य, एक **त्रिपक्षीय अनुबन्ध** निष्पादित किया जाएगा, जो विधि एवं बैंकिंग नियमों के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किया जाएगा।

(xiii) चीनी मिलों द्वारा उक्त धनराशि के सम्बन्ध में **क्षतिपूर्ति अनुबन्ध-पत्र (Indemnity Bond)** दिया जाएगा, जिसमें इस आशय की उद्घोषणा व उपबन्ध होगा कि निजी क्षेत्र की सम्बन्धित चीनी मिल के द्वारा इस ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु किये गये आवेदन एवं इसके साथ दाखिल किये गये अन्य सुसंगत अभिलेख पूर्णतः सही है तथा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है एवं ऋण की जमानत के रूप में प्रस्तुत परिसम्पत्तियां अन्य ऋण भारों से मुक्त है। चीनी मिल द्वारा लिये गये ऋण को, पेराई सत्र 2016-17 एवं/अथवा 2017-18 के गन्ना मूल्य के भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में व्यय/उपयोग नहीं किया जाएगा एवं ऋण की धनराशि की पुनर्वापसी सम्बन्धित बैंक को नियमित रूप से की जाएगी। डिफाल्ट की स्थिति में योजना की शर्तों के अनुसार अधिरोपित चक्रवृद्धि ब्याज का भी भुगतान करेगी। चीनी मिल द्वारा योजना की सभी शर्तों का पालन किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त चीनी मिल को, स्वीकृत ऋण की वसूली के सम्बन्ध में प्रचलित सुसंगत शासकीय अधिनियम/नियम/निर्देश एवं बैंकिंग नियम व निर्देश, समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों सहित, मान्य होंगे। ऋण की ब्याज सहित वसूली संबंधित बैंक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा ऋण की अदायगी में डिफाल्ट की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड एवं संबंधित बैंक के नियमों के तहत बैंक द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(xiv) सम्बन्धित बैंक, स्वीकृत ऋण की धनराशि चीनी मिल के निर्दिष्ट **एस्क्रो एकाउंट** में हस्तान्तरित करेगी तथा यह धनराशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे गन्ना किसानों के बैंक खाते में उनके बकाया गन्ना मूल्य के सापेक्ष भुगतान की जाएगी ताकि उक्त उद्देश्य हेतु धनराशि की उपयोगिता की निगरानी सरलता से की जा सके।

(xv) मासिक किश्तों की अदायगी हेतु सम्बन्धित माह के अगले माह की 03 तारीख भुगतान तिथि होगी, किन्तु ऋणी चीनी मिल के पास पुनर्भुगतान अवधि के दौरान यदि नकद प्रवाह अधिक होता है, तो उस स्थिति में चीनी मिल द्वारा बकाया धनराशि की पुनर्वापसी हेतु निर्धारित समयावधि से पूर्व त्वरित/एकमुश्त भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(xvi) ऋणी चीनी मिलों द्वारा निर्धारित मासिक किश्तों में वापस की गई धनराशि, सम्बन्धित बैंक द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा की जाएगी तथा सम्बन्धित चीनी मिल से वसूल की गई धनराशि को राजकोष में जमा कर दिये जाने की सूचना एवं सुसंगत अभिलेख/ट्रेजरी चालान आदि गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराई जाएगी। मिलों द्वारा बैंको को अदा की गयी मूलधन एवं ब्याज की किश्तों की धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. का होगा।

(xvii) डिफाल्ट की स्थिति में ऋण की अदायगी हेतु बैंक, नियत बैंक खाते के अतिरिक्त चीनी मिल के एस्क्रो एकाउन्ट को भी उपयोग कर सकता है तथा टैगिंग आदेश के अन्तर्गत गन्ना मूल्य भुगतान हेतु नियत प्रतिशत को छोड़कर शेष धनराशि को पुनर्भुगतान हेतु उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(xviii) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की पुनर्वापसी सम्बन्धित चीनी मिल द्वारा लगातार 6 नियमित मासिक किश्तों में नहीं करने एवं अन्तिम किश्त की देय तिथि के 03 माह के भीतर सम्पूर्ण ऋण की वापसी नहीं होने की स्थिति में, ऋणी चीनी मिल के विरूद्ध उत्तर प्रदेश पब्लिक मनी (रिकवरी आफ ड्यूज) अधिनियम, 1972, समय-समय पर यथासंशोधित अथवा रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1965, समय-समय पर यथासंशोधित अथवा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953, समय-समय पर यथासंशोधित, की धारा-17(4) में गन्ना मूल्य की वसूली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

की भांति, अथवा राजकीय देयों की वसूली के सम्बन्ध में प्रचलित अन्य सुसंगत अधिनियम/नियम के अन्तर्गत, गन्ना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी करते हुए चीनी मिल पर बकाया ऋण की धनराशि, 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।

(xix)सम्बन्धित बैंक को प्रशासनिक शुल्क की कटौती का अधिकार उसी पुनर्भुगतान पर होगा जो बैंक के माध्यम से किया जायेगा। बकाया ऋण की धनराशि की अदायगी हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने की स्थिति में, इस धनराशि पर बैंक को कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं होगा।

(xx)वसूली प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत भू-राजस्व की भांति वसूल की गई ऋण की धनराशि, गन्ना आयुक्त को प्रेषित की जायेगी, जिसे वित्त नियन्त्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(xxi) इसके अतिरिक्त इस ऋण योजना में यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अन्य सुसंगत शासकीय अधिनियम/नियम/निर्देश एवं बैंकिंग नियम व निर्देश, समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों सहित, लागू होंगे।

5. **<u>उपयोगिता प्रमाण-पत्रः-</u>**

संबंधित चीनी मिलें, संबंधित उप गन्ना आयुक्त से विधिवत् सत्यापित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि ऋण की राशि का उपयोग योजना में विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु कर लिया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2018 होगी।

आज्ञा से,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-15/2018/1719 (1)/46-3-18-3(36-ए)/2018, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी तथा अंग्रेजी की प्रति हस्ताक्षरित एक-एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचनाओं को दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के ,असाधारण गजट अंक विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर, उसकी 300 प्रतियाँ (प्रत्येक की) शासन के चीनी उद्योग अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सचिवालय, द्वितीय तल, बापू भवन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

<u>संख्या-15/2018/ 1719 (2)/46-3-18-3(36-ए)/2018, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय तथा लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/संस्थागत वित्त/सहकारिता/न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
3- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
4- सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- संयुक्त सचिव, भारत सरकार (शर्करा), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

7- गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।

8- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।

9- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।

12- प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।

13- महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।

14- क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।

15- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

16- मुख्य आंचलिक प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, **(लीड बैंक)**, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से प्रदेश में स्थित सभी बैंकों को इस योजना के प्राविधानों से अवगत कराने एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत करने के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश/गाइडलाइन निर्गत कराने का कष्ट करें।

17- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी बैंक लि., लखनऊ।

18- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।

19- महासचिव, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसियेशन, चिन्टल हाउस, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस योजना को अपने स्तर से सभी सदस्य निजी चीनी मिलों को परिचालित/संसूचित करने का कष्ट करें।

20- समस्त परिक्षेत्रीय-उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

21- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

22- समस्त अध्यासी, निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश। **(द्वारा-गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ के माध्यम से)**

23- विधायी अनुभाग-1/ भाषा अनुभाग-5

24- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2

25- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

त्रिपक्षीय अनुबन्ध–पत्र

(Tripartite Agreement)

यह त्रिपक्षीय अनुबन्ध-पत्र आज वर्ष 201.....के..... माह के .....वें दिन को तद्नुसार शक सम्वत 19.....के.....माह के.....वें दिन को..... (नाम) चीनी मिल, जिसका मुख्यालय..... में स्थित है, द्वारा श्री.....(नाम/पदनाम) (जिसे एतद्पश्चात् **"चीनी मिल"** कहा गया है) **(प्रथम पक्ष)** एवं .....(नाम) बैंक/शाखा....., जिसका मुख्यालय .....में स्थित है, द्वारा श्री .....(नाम/पदनाम) (जिसे एतद्पश्चात् **"बैंक"** कहा गया है) **(द्वितीय पक्ष)** एवं श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा श्री/श्रीमती.....(नाम) उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, सम्बन्धित परिक्षेत्र..... (जिसे एतद्पश्चात् **"राज्य सरकार"** कहा गया है) **(तृतीय पक्ष)** के मध्य निष्पादित किया गया है।

यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य के व्यवस्थापन हेतु घोषित **"चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना"** के दिशा-निर्देशो के तहत यह त्रिपक्षीय अनुबन्ध-पत्र निष्पादित किया जा रहा है:–

यह त्रिपक्षीय अनुबन्ध-पत्र निम्न का साक्षी है:–

इस त्रिपक्षीय अनुबन्ध-पत्र के पक्षकार निम्न शर्तो से सहमत हैं:-

(1) "चीनी मिल " द्वारा पेराई सत्र 2017 एवं 17-2016-18 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु उक्त योजनान्तर्गत ऋण हेतु **"बैंक"** को अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय जो भी अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, वह पूर्णतः सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। यदि आवेदित ऋण स्वीकृत होने के उपरान्त किसी भी समय यह पाया जाता है कि "चीनी मिल" द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई अभिलेख/दस्तावेज अथवा उल्लिखित कोई कथन असत्यझूठा है/, तो "चीनी मिल" के विरूद्ध योजना के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था नियमों के अनुसार कार्यवाही किये जाने में/"चीनी मिल" को कोई आपत्ति नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) चीनी मिल द्वारा पूर्व में लिये गये ऋण को बैंक द्वारा एन.पी.ए. घोषित नहीं किया गया है एवं न ही उसका कोई प्रकरण नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (**NCLT**) में ग्राह्य अथवा विचाराधीन है।

(3) योजनान्तर्गत ऋण लिये जाने हेतु प्रस्तुत चीनी मिल के आवेदन का, बैंक के स्तर पर विधिवत् परीक्षण कर लिया गया है तथा ऋण स्वीकृति से सम्बन्धित सभी अभिलेख ऋण की अदायगी सुनिश्चित होने तक बैंक में अनुरक्षित रखे जाएंगे।

(4) योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण का उपयोग पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु किया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित पेराई सत्र, जिसके भुगतान के लिए ऋण लिया जा रहा है, के शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान दिनांक 30.11.2018 तक सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

(5) चीनी मिल द्वारा इस योजनान्तर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण की अदायगी/पुनर्वापसी मासिक किश्तों में 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित अधिकतम 05 वर्षो की अवधि में सुनिश्चित की जायेगी तथा किसी किश्त की चूक/डिफाल्ट की स्थिति में योजना के प्राविधानों के अनुसार डिफाल्ट किश्त पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अधिरोपित चक्रवृद्धि ब्याज का भी भुगतान चीनी मिल द्वारा बैंक को किया जायेगा।

(6) चीनी मिल को स्वीकृत किये जाने वाले ऋण हेतु राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि एवं चीनी मिल को वितरित की जाने वाली धनराशि तथा ऋण वापसी हेतु, ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा एक अलग खाता खोला जाएगा और ऋण के लेन–देन का समस्त विवरण इसी खाते के माध्यम से अनुरक्षित किया जाएगा।

(7) चीनी मिल को स्वीकृत ऋण की धनराशि उसके एस्क्रो एकाउन्ट संख्या..... आई.एफ.एस.कोड.....बैंक.....में स्थानान्तरित की जाएगी तथा इसका शत-प्रतिशत उपयोग केवल सम्बन्धित पेराई सत्र के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान में सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) चीनी मिल स्वीकृत ऋण का उपयोग सुनिश्चित करते हुए यथावश्यक/अतिरिक्त धनराशि अपने संसाधनों से जुटाकर, सम्बन्धित पेराई सत्र (पेराई सत्र 2016-17 एवं सत्र 2017-18), जिसके लिए बैंक के द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है, के सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान दिनांक 30.11.2018 तक सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

(9) चीनी मिल आगामी पेराई सत्र 2018–19 में चीनी मिल के संचालन हेतु निर्धारित तिथि (± 5 दिवस) में मिल में पेराई कार्य शुरू किये जाने हेतु बाध्य होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10) चीनी मिल द्वारा इस योजनान्तर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण की अदायगी/पुनर्वापसी मासिक किश्तों में 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित अधिकतम 05 वर्षो की अवधि में सुनिश्चित की जायेगी तथा किसी किश्त की चूक/डिफाल्ट की स्थिति में योजना के प्राविधानों के अनुसार डिफाल्ट किश्त पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अधिरोपित चक्रवृद्धि ब्याज का भी भुगतान चीनी मिल द्वारा बैंक को किया जायेगा (जिसका उल्लेख प्रस्तर-(5) में किया गया है)। पुनर्भुगतान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि मय ब्याज, प्रशासनिक शुल्क कटौती के उपरान्त, संबन्धित बैंक द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा करते हुए, सुसंगत अभिलेख/ ट्रेज़री चालान की प्रति गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराई जाएगी। योजनान्तर्गत बैंक को उपलब्ध होने वाला फण्ड उसके व्यवसाय से अलग होगा एवं बैंक की भूमिका फण्ड मैनेजर के रुप में होगी। बकाया ऋण की धनराशि की अदायगी हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने की स्थिति में, इस धनराशि पर बैंक को कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं होगा।

(11) इस योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड की गाइडलाइन एवं अन्य बैंकिंग नियम/प्राविधान, समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों सहित, चीनी मिल एवं बैंक को मान्य होंगे।

(12) चीनी मिली/बैंक द्वारा योजना की शर्तों के उल्लंघन करने अथवा धनराशि के दुरूपयोग की स्थिति में सम्बन्धित चीनी मिल/बैंक का उत्तरदायित्व निर्धारित कर तत्समय प्रचलित सुसंगत अधिनियम/नियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु निर्णय लिए जाने के सम्बन्ध में गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. को अधिकार प्राप्त होगा तथा इस संबंध में उनके द्वारा लिये गये निर्णय/पारित आदेश सभी सम्बद्ध पक्षों पर बाध्यकारी होगें। ऋण की वसूली भू-राजस्व की बकाया धनराशि की भाँति की जाएगी।

(13) ऋण के प्रयोजन हेतु चीनी मिल **(प्रथम पक्ष)** द्वारा, ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक **(द्वितीय पक्ष)** को दी गई जमानत/प्रतिभूतियों का विवरण एवं मूल्यांकन निम्नवत् है-

.....

.....

.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण की अदायगी चीनी मिल द्वारा समयान्तर्गत सुनिश्चित न करने की स्थिति में उपरोक्त जमानत/प्रतिभूतियों से भू–राजस्व की भॉति वसूल करने हेतु, गन्ना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।

(14) चीनी मिल द्वारा लगातार 06 नियमित मासिक किश्तों में जमा न करने एवं अन्तिम किश्त की देय तिथि के 03 माह के भीतर सम्पूर्ण ऋण की वापसी न होने की स्थिति में उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17 (4) में गन्ना मूल्य की वसूली की भॉति अथवा राजकीय देयों की वसूली के संबंध में प्रचलित अन्य सुसंगत अधिनियम/नियम के अन्तर्गत, 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भू-राजस्व की भॉति वसूल की जाएगी।

(15) चीनी मिल **(प्रथम पक्ष)**, उप गन्ना आयुक्त **(तृतीय पक्ष)** से विधिवत सत्यापित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगीं, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि ऋण की राशि का उपयोग योजना में विर्निष्ट उद्देश्य हेतु कर लिया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के कार्यालय में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2018 होगी।

उपरोक्त साक्ष्य में इस त्रिपक्षीय अनुबन्ध-पत्र के पक्षकारों द्वारा ऊपर अंकित तिथि को इसे हस्ताक्षरित किया गया।

(.....)	**(.....)**	**(.....)**
चीनी मिल/ उसके अध्यासी/प्रतिनिधि (प्रथम पक्ष)	**ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक/उसके अधिकृत प्रतिनिधि (द्वितीय पक्ष)**	**श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त (तृतीय पक्ष)**

<u>साक्षीगण : –</u>

1-

2–

(नाम एवं पता)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्षतिपूर्ति बन्धपत्र

(Indemnity Bond)

यह कि क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, वर्ष 2018 के.....माह के .....वें दिन को चीनी मिल....., जिसका मुख्यालय.....में स्थित है, के प्रतिनिधि/अध्यासी श्री.....(पदनाम), (जिन्हे एतद्पश्चात "चीनी मिल" कहा गया है) द्वारा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रसंविदाओं के अधीन निष्पादित कर.....बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है:-

1- मैं.....(नाम मय पिता व स्थाई पता एवं आयु) चीनी मिल में.....पद पर कार्यरत हूँ। अधिकार पत्र/बोर्ड रिजोल्यूशन दिनांक .....के द्वारा चीनी मिल के प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णयों के लिए पूर्णरुप से अधिकृत एवं सक्षम अधिकारी हूँ। चीनी मिल द्वारा **"चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना"** के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- यह कि ऋण की स्वीकृत धनराशि रु.....(शब्दों में रु.....) एवं ब्याज सहित सीमा तक चीनी मिल, राज्य सरकार/बैंक को उनकी मांग पर बिना किसी शर्त के क्षतिपूर्ति करने को बाध्य रहेंगी।

3- चीनी मिल द्वारा प्रदेश सरकार की "चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना" के अन्तर्गत, चीनी मिल के पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए ऋण स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया जा रहा है तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये सभी दस्तावेज/अभिलेख पूर्णत: सही एवं सत्य हैं। इनमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है और न ही असत्य है। ऋण हेतु प्रत्याभूति के रुप में दी गई परिसम्पत्तियाँ अन्य ऋणभारों से मुक्त हैं।

4- उपरोक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण का उपयोग पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु किया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित पेराई सत्र, जिसके भुगतान के लिए ऋण लिया जा रहा है, के शत प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान दिनांक-30.11.2018 तक सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- उपरोक्त मिल द्वारा इस योजनान्तर्गत बैंक **द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले** ऋण की अदायगी/पुनर्वापसी मासिक किश्तों में 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सहित सुनिश्चित की जायेगी तथा किसी किश्त की चूक/डिफाल्ट की स्थिति में योजना के प्राविधानों के अनुसार डिफाल्ट किश्त पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अधिरोपित चक्रवृद्धि ब्याज का भी भुगतान किया जायेगा।

6- उपरोक्त ऋण की अदायगी हेतु आवश्यकता पड़ने पर बैंक/राज्य सरकार, चीनी मिल में गन्ना पेराई से उत्पादित होने वाला चीनी, शीरा, बगास एवं प्रेसमड का समस्त स्टाक, अपनी अभिरक्षा में लिए जाने तथा अभिरक्षा में लिए गए स्टाक की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से सम्बन्धित पेराई सत्र की गन्ना आपूर्ति पर देय गन्ना मूल्य/कमीशन के भुगतान हेतु नियत टैगिंग आदेश के अनुसार धनराशि व्यय किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि ऋण की अदायगी में उपयोग किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

7- उपरोक्त चीनी मिल में उत्पादित / विक्रीत चीनी, शीरा, बगास, प्रेसमड की मात्रा एवं विक्रय से प्राप्त धनराशि की स्पष्ट सूचना प्रत्येक पक्ष में सम्बन्धित बैंक के साथ-साथ जिला गन्ना अधिकारी/उप गन्ना आयुक्त के माध्यम से गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को दी जायेगी।

8- उपरोक्त योजना की शर्तों के अनुसार समयान्तर्गत ऋण की अदायगी में विफल रहने अथवा कोई अभिलेख/तथ्य झूठा पाये जाने अथवा छुपाये जाने की दशा में बैंक/राज्य सरकार, तत्समय प्रचलित सुसंगत अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत चीनी मिल के विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने, स्वीकृत ऋण हेतु प्रतिभूति के रुप में दी गयी परिसम्पत्तियों को अटैच/नीलाम करने अथवा चीनी मिल के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बकाया धनराशि को 15% वार्षिक साधारण ब्याज सहित वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। चीनी मिल द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

9- उपरोक्त चीनी मिल को ऋण की वसूली के सम्बन्ध में, प्रचलित सभी सुसंगत शासकीय अधिनियम/नियम/निर्देश एवं बैंकिंग नियम व निर्देश, समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों सहित मान्य होंगे।

चीनी मिल के अध्यासी/अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

(पूरा नाम/पदनाम एवं मुहर सहित)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Chini Udyog Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.: 15/2018/1719/46-3-18-3 (36-A) / 2018, dated: 16th October, 2018.

Notification

No.: 15 /2018/1719/46-3-18-3 (36-A) / 2018
Lucknow : Dated: 16th October, 2018

The State Government, with a view to improve the liquidity position of private sector sugar mills of the State enabling them to clear the cane price arrears of crushing seasons 2016-17 and 2017-18 and timely settlement of cane price as per State Advised Price (SAP) fixed by the State Government, to the sugarcane farmers, hereby notifies the following scheme, namely **"Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings-2018"**, the structure of scheme is as mentioned below:-

1. **Name of the scheme**- "Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings-2018"

2. **Objective of the loan:-**

The loan shall be utilized by the sugar mills for clearance of the cane price arrears of crushing seasons 2016-17 and 2017-18, respectively and timely settlement of cane price of the concerned crushing season, as per the State Advised Price fixed by the State Government, to the sugarcane farmers.

3. **Nature of loan scheme:-**

I. The loan scheme shall be applicable to the sugar mills of the private sector for payment of balance cane price of crushing season 2016-17 and 2017-18, respectively.

II. Under the loan scheme, the maximum loan amount shall be Rs.4,000 crores covering all the eligible private sugar mills.

III. The amount provided in the budget under the scheme, shall be placed at the disposal of the Cane & Sugar Commissioner, Uttar Pradesh after financial sanction of the government has been accorded. Under the scheme, the application for loan received from the private sector sugar mills shall be

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

scrutinized and the amount of loan sanctioned in relation to the eligible application/s will be made available to the bank/s after drawing the amount by the Cane & Sugar Commissioner as per the demand letters received from the respective bank/s.

IV. The interest on sanctioned loan shall be applicable at the rate of 5% simple interest per annum, which will be calculated from the date of disbursement of loan. The maximum duration for repayment of loan shall be 5 years, payable in monthly installments, starting from the month of July, 2019. In case of default of any installment or installments as per the repayment schedule, compound interest at the rate of 12% per annum shall be charged on the defaulted installment or installments. The computation of principal amount and interest for monthly installments would be as per the banking Rules and Regulations.

V. The loan sanctioning banks shall refund the principal amount along with 4% of interest to the State Government while deducting 1% interest as administrative charges from the 5% simple interest recovered from the sugar mills. In case of failure in repaying the loan in due time or default of any installment, 12% compound interest per annum shall be charged from the sugar mills, out of which, deducting 2% as administrative charges, the principal amount alongwith 10% interest shall be returned to the State Government by the concerned bank.

4. <u>Modalities and extend of the loan scheme:-</u>

I. This loan scheme shall be implemented through Nationalized, Scheduled Commercial Banks, U.P. Co-operative Bank and District Co-operative Bank situate in the State. The borrower sugar mills may submit their application at the bank level.

II. The concerned bank shall maintain a separate account for the disbursement and refund of the loan under the scheme and after the disbursement of the loan, the monthly statement of repayment shall be sent to the Deputy Cane Commissioner of the concerned region, marking a copy to the Cane and Sugar Commissioner, U.P. The funds available to the banks under the scheme will be different from its business and the role of the bank will be in the form of a fund manager.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

III. For the purpose of submission of loan application by sugar mills and scrutiny of applications, sanctioning and securing of the loans under the scheme, the banks will adopt the same procedure as applicable under the Banking Rules for sanctioning of other / similar types of bank loans.

IV. The concerned bank shall be responsible for checking the authenticity of the application and relevant records submitted by the sugar mills for appraisal and sanctioning of the loan, and also for maintenance of the same.

V. The lending will be subject to various norms relating to scrutiny and appraisal, future cash flows of five years, establishing the viability and debt servicing capacity, conduct of loan as per the guidelines notified by the RBI / NABARD for the sugar industry from time to time.

VI. The loan will be subject to all relevant banking norms including guidelines as notified by RBI and NABARD for the sugar industry from time to time. The loan will be supported by security and collateral of the sugar mill, availing the loan, including individual guarantees and other assets of promoters, which shall have to be free from all debt burdens, encumbrances, as determined by the concerned bank.

VII. The loans shall be secured by security and collateral of the sugar mill availing the loan including personal guarantees and other assets of promoters which are free from encumbrances, to be decided by the individual banks.

VIII. In pursuance of this notification, all loans, for which the applications are received by 31th October, 2018 in the banks and sanctioned by 10th November, 2018 and disbursed by 25th November, 2018 by the lending banks, would be covered under the scheme but the sugar mill/s whose cases have been admitted or are under consideration before the National Company Law Tribunal (NCLT) and have been declared NPA by the banks against any previous loan/s such sugar mills will not be considered for sanctioning of the loan under the scheme.

IX. The sugar mill availing the loan under the scheme will have to ensure 100% payment of outstanding cane price of crushing season 2016-17 and 2017-18 including utilization of the sanctioned loans latest by 30th November, 2018.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

X. The amount of outstanding cane price of crushing season 2016-17 & 2017-18 due on the date of loan application or 50% of the total cane price, due in the respective season, whichever is less, shall be the maximum amount of loan which may be sanctioned to a sugar mill unit / company. Only those sugar mills will be eligible to apply for loan, which shall have already paid not less than 30% of their total cane dues of respective crushing season, to be certified by the Deputy Cane Commissioner of the concerned range.

XI. For the purpose of sanctioning the loan, the quantum of loan shall be calculated, after adjusting the financial assistance provided by the State Government at the rate of Rs.4.50 per quintal of cane crushed and cogen dues paid to the company / unit after 20th September, 2018 from the existing cane price arrears. A certificate to this effect shall be issued by concerned Deputy Cane Commissioner.

XII. Under the scheme, the loan disbursement shall be made after a **Tripartite Agreement** between the Sugar Mill, Concerned Bank and Deputy Cane Commissioner of the concerned range, has been executed on a non judicial stamp paper as per law and banking rules.

XIII. The Sugar mills shall have to execute an **Indemnity Bond** regarding the loan amount, in which they shall have to make a declaration and a stipulation that the application for loan assistance made by the concerned sugar mill of the private sector and the documents submitted therefor are true / correct and no material facts have been concealed and assets submitted towards security & collateral for the loan are free from encumbrances. The loan availed by the sugar mill will not be spent or utilized for any purpose other than for the payment of outstanding cane price of crushing season 2016-17 and/or 2017-18, as applicable and repayment of loan to the concerned bank will be made regularly. In the event of default the concerned sugar mill shall also be liable to make the payment of compounded interest imposed as per the terms and conditions of the scheme. The sugar mill shall abide with all the terms and conditions of the scheme and in addition thereto, the sugar mill shall be bound to adhere to all the relevant Government Acts, Rules, Instructions, banking rules and instructions issued from time to time including amendments with respect to the recovery of the sanctioned loan. The repayment of loan with interest shall be ensured by the concerned banks and in case of default, action

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

would be initiated by the banks under the existing banking rules, regulations and guidelines issued by RBI / NABARD in this regard.

XIV. The concerned bank will transfer the sanctioned loan to the designated **ESCROW account** of the sugar mill and this amount will be directly transferred, through the RTGS / NEFT, in the bank accounts of sugarcane farmers in respect of their outstanding cane price, so that the monitoring of utilization of the amount for the designated purpose may be ensured.

XV. The date of repayment of monthly installment by the mill shall be the third day of the ensuing month. However, if during the period of repayment, the cash flow of the sugar mill is substantial, in that event there shall be no restriction on early repayment of installment or installments or one-time payment / foreclosure of loan.

XVI. The amount refunded in monthly installments by the borrowing sugar mill shall be deposited, by 5th date of that month by the concerned bank, in the Government Treasury under the relevant head prescribed by the Finance Department. The information of deposition of the recovered amount in the treasury will be made available to the Cane & Sugar Commissioner, UP along with the relevant records / treasury chalan etc latest by 10th of every month. The Cane & Sugar Commissioner, UP would ensure that the principal amount and interest there on that has been repaid by the mills to the banks is deposited in the Government Treasury.

XVII. In the event of default, to ensure repayment of loan, in addition to the specified account, the bank may use the ESCROW account of the sugar mill and utilize the money available in the ESCROW account except the amount fixed for cane price payments under the Tagging Order.

XVIII. In the event of non-repayment of entire loan amount within three months from the due date of the last installment or non-payment of six regular monthly installments by the concerned sugar mill, the recovery of loan from the indebted sugar mill will be made as arrears of land revenue with 15% simple interest per annum. The Cane & Sugar Commissioner, U.P. shall issue the Recovery Certificate under the provisions laid down in the respective enabling laws, including, inter-alia, The Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972, as amended from time to time, or

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

The Revenue Recovery (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1965, as amended from time to time, or under Section 17 (4) of the U.P. Sugarcane (Regulation of Supply & Purchase) Act, 1953, as amended from time to time, or under other relevant provisions of existing Act and Rules for the recovery of government dues as arrears of land revenue towards the recovery of outstanding dues.

XIX. The right to deduct the administrative fees by the concerned bank will be admissible only on the repayment which is recovered through the bank. In the event of issuance of a recovery certificate for the recovery of outstanding loan amount, no administrative charges will be payable to the bank.

XX. The amount of loan recovered as land revenue under the Recovery Certificate will be forwarded to the Cane & Sugar Commissioner, U.P. and same will be deposited by the Finance Controller, office of Cane & Sugar Commissioner in the Government treasury under the prescribed account head.

XXI. In addition to the above, the relevant Government Act, Rules, Instructions, banking rules and instructions, along with amendments made thereto from time to time shall also be applicable for initiating any action under the scheme.

5. Utilization Certificate

The concerned sugar mill shall have to submit a Utilization Certificate duly certified by the concerned Deputy Cane Commissioner, that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. The last date of submission of the Utilization Certificate to the Cane & Sugar Commissioner's office shall be 31st December 2018.

By Order,

Sanjay R. Bhoosreddy
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।